

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-11/2018/131/37-1-2018-2(14)/2017

लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018

कार्यालय-आदेश

पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को 10 वर्ष एवं 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 एवं शासनादेश संख्या- 08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 03-03-2015 के अधीन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू06600/- एवं स्तम्भ-6 में अंकित तिथि द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 7600/- स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	अधिकारी का नाम	ज्ये0 क्र0	विभाग में नियुक्ति/ योगदान की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0 देयता की तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 देयता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा0 मो0 शकील	1404	24-04-1999	24-04-2009	24-04-2015
2	डा0 हयात वारिस सैफी	1424	28-07-1999	28-07-2009	28-07-2015
3	डा0 संजय कुमार पाण्डेय	1442	24-09-1998	01-12-2008	24-09-2014
4	डा0 अनुराग यादव	1468	30-08-1999	30-08-2009	30-08-2015

2- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 05-11-2014 एवं शासनादेश संख्या- 08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 03-03-2015 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-11/2018/131(1)/37-37-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिकारी को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिये जाने से पूर्व उनसे संबंधित सेवा अभिलेखों का सत्यापन अपने स्तर पर कर लेंगे।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।